



भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस

LICENSE FOR THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रमाणन निकाय बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रत्यायित

(Accredited by National Accreditation Board for Certification Bodies, New Delhi)

लाइसेंस सं. म.क्ष. का / क्यू एम एस / एल - 8004560

Licence No. CRO/QMS/L- 8004560

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो

By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act 2016 (11 of 2016), the Bureau hereby grants to

मेसर्स दीपक फास्टरर्स लिमिटेड,
ग्राम खोकरी, भोपाल-इंदौर राजमार्ग,
जिला सीहोर, मध्य प्रदेश - 466001

M/s Deepak Fasteners Limited,
Village Khokhri, Bhopal-Indore
Highway, Dist. Sehore,
Madhya Pradesh - 466001

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है)। इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के गुणवत्ता प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर (रों) में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा, आईएस/आईएसओ 9001:2015 के अनुरूप गुणवत्ता प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल ऊपर बताए गए पते (पत्तों) पर निर्मित/प्रदत्त/ प्रचालित किए जाएंगे

(hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of **Quality Management Systems Certification** in respect of the products and/or services of processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/ provided/carried out by the Licensee at only the address (es) given above, and under the Quality Management Systems in accordance with

IS/ISO 9001:2015

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबंध में प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है और लाइसेंसधारी एतद्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is **granted** subject to the relevant provisions of the above Act and the Rules and Regulations made there under governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

यह लाइसेंस 25 अगस्त 2026 से 24 अगस्त 2029 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा सकेगा।

This licence shall be valid from 25th August 2026 to 24th August 2029 and may be recertified as prescribed in the Regulations.

2026 के अगस्त माह का पच्चीसवा दिना दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित।

Signed, sealed and dated this **Twenty Fifth day of August 2026**.

(Sneh Lata)

Deputy Director General (Central)

भारतीय मानक ब्यूरो के लिए

For BUREAU OF INDIAN STANDARDS

